भारत सरकार

नागर विमानन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या :2554

दिनांक 22 दिसम्बर, 2022/1 पौष,1944 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

उड़ानों में बोर्डिंग से मना करने के संबंध में मुआवजा

2554. डॉ. सुजय विखे पाटील:

डॉ. हिना विजयकुमार गावीत:

श्री उन्मेश भैय्यासाहेब:

श्री कृष्णपाल सिंह यादव:

प्रो. रीता बहुगुणा जोशी:

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत पांच वर्षों के दौरान दिव्यांग व्यक्तियों को उड़ानों में चढ़ने से मना करने के संबंध में सूचित किए गए मामलों की संख्या कितनी है;

(ख) इस संबंध में एयरलाइनों को दंडित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार का विमान कर्मचारियों को उनके साथ उड़ान भरने वाले दिव्यांगों की समस्याओं और आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील बनाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का ऐसे दिव्यांग व्यक्तियों के लिए मुआवजा शुरू करने का विचार है जिन्हें बोर्डिंग से वंचित कर दियाग गया है, या उड़ान में बोर्डिंग के समय उनकी अक्षमता के कारण जांचा गया और अपमानित किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल (डा.) विजय कुमार सिंह (सेवानिवृत्त))

(क) तथा (ख): अपने माता पिता के साथ यात्रा करने वाले दिव्यांग बच्चे को विमान में सवार होने से मना करने का एक मामला दिनांक 7.5.2022 को रांची-हैदराबाद फ्लाइट के संबंध में एयरलाइन द्वारा रिपोर्ट किया गया था। नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा घटना की जांच के लिए गठित ''तथ्य अंवेषण समिति'' की रिपोर्ट के आधार पर, एयरलाइन पर 5,00,000/- रुपए का जुर्माना लगाया गया था।

(ग) तथा (घ): नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा जारी नागर विमानन अपेक्षाएं (सीएआर) खंड 3 – विमान परिवहन – श्रृंखला एम भाग IV शीर्षक ''दिव्यांगजन तथा/अथवा कम गतिशीलता वाले व्यक्तियों का विमान से कैरिज'' में, एयरलाइनों, एयरलाइन प्रचालकों, यात्री सेवाओं से सम्बद्ध सुरक्षा, सीमाशुल्क एवं आप्रवास ब्यूरो संगठनों के सभी कार्मिकों को, दिव्यांगजनों अथवा कम गतिशीलता वाले व्यक्तियों की सहायता के प्रति जागरूक करने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा उपलब्ध करवाए गए प्रशिक्षण माड्यूल के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के प्रावधान हैं।

भविष्य में इस प्रकार की अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिए नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा दिनांक 22 जुलाई, 2022 को संशोधित नागर विमानन अपेक्षाएं खंड 3 – विमान परिवहन, श्रृंखला एम भाग IV शीर्षक ''दिव्यांगजन तथा/अथवा कम गतिशीलता वाले व्यक्तियों का विमान से कैरिज'' जारी की गई हैं। संशोधित नागर विमानन अपेक्षाओं के अनुसार ''एयरलाइनों को दिव्यांगता तथा / अथवा कम गतिशीलता के आधार पर किसी व्यक्ति को विमान में सवार होने से मना नहीं किया जाना है''। तथापि, यदि किसी मामले में किसी एयरलाइन को यह प्रतीत होता है कि किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य की स्थिति यात्रा के दौरान बिगड़ सकती है तो ऐसे व्यक्ति का किसी डाक्टर द्वारा वैयक्तिक तौर पर परीक्षण किया जाना है जिसके द्वारा स्पष्ट रूप से यह मत व्यक्त किया जाना चाहिए कि ऐसा व्यक्ति विमान यात्रा के लिए उपर्युक्त है अथवा नहीं। चिकित्सा मत की प्राप्ति के पश्चात एयरलाइन द्वारा ऐसे व्यक्ति की कैरिजै करने से संबंधित यथोचित निर्णय लिया जा सकता है। एयरलाइन द्वारा विमान में सवार होने से मनाही किए जाने की सूचना एयरलाइन द्वारा, कारणों सहित लिखित रूप में, तत्काल यात्री को दी जानी चाहिए।

****